# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 658/2013**

डॉ. बृजेश गुप्ता **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर मुख्यालय, अजमेर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 17.07.2013
**आदेश की दिनांक** : 30.04.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री सौरभ पुरोहित, अभिभाषक
**प्रत्यर्थीगण की ओर से** : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2010 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 25.03.1994 से दो अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की जावे एवं अपीलार्थी से किसी प्रकार की वसूली नहीं की जावे तथा यदि अपीलार्थी से वसूली की गई है तो वसूली राशि मय ब्याज सहित भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सीएएस के पद पर हुई थी और सेवा के दौरान अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1994 में पीजी डिग्री एम.डी. पैडियाट्रिक किया गया। रिक्ति वर्ष 1993–94 के विरूद्ध डीपीसी द्वारा कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर अपीलार्थी का चयन हुआ और आदेश दिनांक 22.06.1995 के द्वारा पदोन्नति दी गई, जिसका वेतन काल्पनिक रूप से निर्धारित किया गया। अपीलार्थी को नियम 1989 के नियम 13 के शेड्यूल 4 के

अंतर्गत पीजी डिग्री के आधार पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई। परंतु आदेश दिनांक 19.11.1998 के द्वारा दो अग्रिम वेतन वृद्धि को अपीलार्थी को अवसर दिये बिना प्रत्याहृत कर ली गई, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 27.09.2000 के द्वारा अपीलार्थी के वेतन को कम कर दिया गया, जो सेवा नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित करते हुये अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2010 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 25.03.1994 से दो अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की जावे एवं अपीलार्थी से किसी प्रकार की वसूली नहीं की जावे तथा यदि अपीलार्थी से वसूली की गई है तो वसूली राशि मय ब्याज सहित भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा पीजी करने से पूर्व ही कनिष्ठ विशेषज्ञ का वेतन दिनांक 31.03.1994 को दिया गया और इस प्रकार अग्रिम वेतन वृद्धि वेतनमान में दिये जाने का कोई प्रावधान देय नहीं होने के कारण अग्रिम वेतन वृद्धियां नहीं दी गई। आदेश दिनांक 13.12.1996 के द्वारा अपीलार्थी का जो वेतन निर्धारण किया गया है, वह नियमानुसार सही है। अपीलार्थी को पीजी परीक्षा परिणाम घोषित दिनांक 01.04.1994 से दो अग्रिम वेतन वृद्धियां उक्त कारणों के रहते नियमानुसार दिये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण इन्हें दो वेतन वृद्धियां नहीं दी गई क्योंकि पीजी करने से पूर्व ही उक्त कनिष्ठ विशेषज्ञ/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का वेतनमान प्राप्त कर रहे थे। इसलिये अपीलार्थी को नियमानुसार दिया जाना संभव नहीं होने के कारण अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि सेवा के दौरान अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1994 में पीजी डिग्री एम.डी. पैडियाट्रिक किया गया। रिक्ति वर्ष 1993–94 के विरूद्ध अपीलार्थी को कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर आदेश दिनांक 22.06.1995 के द्वारा पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी को नियम 1989 के नियम

13 के शेड्यूल 4 के अंतर्गत पीजी डिग्री के आधार पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई। परंतु आदेश दिनांक 19.11.1998 के द्वारा दो अग्रिम वेतन वृद्धि को अपीलार्थी को अवसर दिये बिना प्रत्याहृत कर ली गई। जहां तक अपीलार्थी को दिनांक 25.03.1994 से अग्रिम दो वेतन वृद्धियां प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी द्वारा पीजी करने से पूर्व ही कनिष्ठ विशेषज्ञ का वेतन दिनांक 31.03.1994 को दिया गया और इस प्रकार अग्रिम वेतन वृद्धि वेतनमान में दिये जाने का कोई प्रावधान देय नहीं होने के कारण अग्रिम वेतन वृद्धियां नहीं दी गई। अपीलार्थी को पीजी परीक्षा परिणाम घोषित दिनांक 01.04.1994 से दो अग्रिम वेतन वृद्धियां उक्त कारणों के रहते नियमानुसार दिये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण इन्हें दो वेतन वृद्धियां नहीं दी गई क्योंकि पीजी करने से पूर्व ही उक्त कनिष्ठ विशेषज्ञ/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का वेतनमान प्राप्त कर रहे थे। परंतु फिर भी हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी इस आदेश के जारी होने की दिनांक से दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**